(ख) सरकार ने इस संबंध में समय-समय पर आश्वासन दिए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों के साथ गहन परामर्श करने और विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात्, दिनांक 17 और 18 मई, 1995 को केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में राज्य श्रम मंत्रियों और श्रम सचिवों की बैठक के दौरान, प्रचालित स्थानीय दशाओं के अनुसार विधान को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त लोचशीलता प्रदान करने की व्यवस्था के साथ कृषि कर्मकारों के लिए एक केन्द्रीय विधान की आवश्यकता के बारे में अन्तिम रूप से एक आम मतैक्य हुआ है।

गांवों को वस्तुओं की आपूर्ति

2068. **श्री रामजीलालः** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार इस समय देश में गांवों को अनाजों, चावल, दालों और अन्य ऐसी वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा में आपूर्ति कर रही है और इस संबंध में क्या मान-दण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) गांवों और शहरों में इनके वितरण का प्रतिशत कितना-कितना है; और

(ग) गांवों के संबंध में इस प्रतिशत में वृद्धि करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण के जरिए वितरण हेतु चावल, गेहूं, चीनी, आयातित खाद्य तेल, सुपीरियर मिट्टी का तेल और सी०आई०एल०/साफ्ट कोक का थोक में आवंटन करती है। इसके आगे उपभोक्ताओं को वितरित करने तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटन से संबंधित निर्णय करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को किए गए आवंटन का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आवंटन के मामले में शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच कोई विभेद नहीं करती है। तथापि, आदिवासी बहुल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले खण्डों में अवस्थित शहरी नगर बस्तियों के निवासी संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए लागू विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर चावल और गेहूं पाने के पात्र नहीं हैं।

केन्द्रीय सरकार, उत्पादन, अधिप्राप्ति, केन्द्रीय पूल में उपलब्धता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं आयातित स्टाक की उपलब्धता और मौसमजन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए चावल, गेहूं और आयातित खाद्य तेल जैसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का मासिक आवंटन करती है। लेवी चीनी का आवंटन आमतौर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 1.10.86 को अनुमानित आबादी के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान मानदण्ड पर किया जाता है। जनवरी, 1986 से 1991 की जनगणना के आधार पर आकलित आबादी को लेवी चीनी का आवंटन करने का निर्णय किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सुपीरियर मिट्टी के तेल का आवंटन भूतकालिक आधार पर किया जाता है। सभी राज्यों को सुपीरियर मिट्टी के तेल के प्रति व्यक्ति आवंटन के राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सुपीरियर मिट्टी के तेल के आवंटन में वृद्धि का निर्णय किया जा रहा है।

Supply of poor quality coal to steel industries

2069. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in Business Standard of 19th September 1995 captioned poor quality coal inflicts huge output loss on sponge iron units;